



जनपद गाजियाबाद प्रेस नोट दिनांक 23.07.2021

वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा रोकथाम अपराध / वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर महोदय के निर्देशन में थाना भोजपुर पुलिस द्वारा दिनांक 23.07.2021 को मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 453/2021 धारा 354/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त इशरार पुत्र आकिल निवासी ग्राम किन्हापुर थाना भोजपुर गाजियाबाद को फरीदनगर गेट से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

इशरार पुत्र आकिल निवासी ग्राम किन्हापुर थाना भोजपुर गाजियाबाद

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 453/2021 धारा 354/323/504/506 भादवि



हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय गाजियाबाद व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के कुशल निर्देशन में दिनांक 23.07.2021 को मु0अ0सं0 412/21 धारा 147/149/302/307/323/504/34 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त वाजिद पुत्र आबिद उम्र- 34 वर्ष नि0 ग्राम त्योंडी 13 बिस्वा थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद को मुखबिर की सूचना पर तलहेटा की मढैया मन्दिर से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

वाजिद पुत्र आबिद उम्र- 34 वर्ष नि0 ग्राम त्योंडी 13 बिस्वा थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 412/21 धारा 147/149/302/307/323/504/34 भादवि



(एनसीआर क्षेत्र में लूटपाट करने वाले गिरोह के 02 गैंगस्टर वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार)

कार्यवाही:- श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित पाठक के निकट निर्देशन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी इंदिरापुरम गाजियाबाद महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा लूटपाट करने वाले गिरोह व गैंगस्टर एक्ट के वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में थाना इंदिरापुरम पुलिस की सक्रियता से उस समय सफलता प्राप्त हुई जब मुखबिर की सूचना पर साहिबाबाद सब्जी मण्डी के पास से 02 शातिर गैंगस्टर (लूटेरे) को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पता निम्नवत है:-

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1:- विककी पुत्र स्व0 श्री शिवराम निवासी म0न0-379 गली न0-6 ज्वाला नगर शाहदरा दिल्ली
- 2:- दयानन्द सोनी उर्फ राजू पुत्र नोबत सिंह निवासी म0न066 पाली गली ज्वाला नगर शाहदरा दिल्ली

अभियुक्तगणो अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्त शातिर किस्म लूटेरे हैं जो एनसीआर क्षेत्र में गैंग बनाकर लूटपाट की घटनाए कारित करते हैं। उक्त गैंग के सदस्यों को एनसीआर क्षेत्र की अच्छी जानकारी होने के कारण उक्त गैंग रास्ते में आने जाने वाले व्यक्तियों/महिलाओं से चैन स्नैचिंग/मोबाईल लूट की घटनाए कारित कर फरार हो जाते हैं। अभियुक्तगण किशनलाल भूटानी उर्फ गौरव पुत्र तिलकराम भूटानी गैंग के सक्रिय सदस्य हैं।

अभियुक्त विककी का अपराधिक इतिहास:-

क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना/जनपद
1	177/2019	411 भादवि	लिक रोड/गा0बाद
2	736/2019	411 भादवि	लिकरोड/गा0बाद
3	642/2019	411 भादवि	इंदिरापुरम/गा0बाद
4	1634/2021	2/3 गैंगस्टर एक्ट	इंदिरापुरम/गा0बाद

अभियुक्त दयानन्द सोनी उर्फ राजू का अपराधिक इतिहास:-

क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना/जनपद
1	177/2019	411 भादवि	लिक रोड/गा0बाद
2	700/2019	411 भादवि	इंदिरापुरम/गा0बाद
3	1634/2021	2/3 गैंगस्टर एक्ट	इंदिरापुरम/गा0बाद



थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 151 ग्राम अल्प्राजोलम नशीला पाउडर नाजायज बरामद

दिनांक 23-07-2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री अमित पाठक के निर्देशन श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री डा0 ईरज रजा के पर्यवेक्षण में श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय श्री अतुल कुमार सोनकर महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना ट्रोनिका सिटी श्री संदीप कुमार सिंह की टीम दिनांक: 22/07/2021 समय

21.05 बजे खुशहाल पार्क वाले कट के ढलान रास्ता से अभियुक्त शकील पुत्र स्व0 मौ0 इशाक निवासी कादरी मस्जिद के सामने 25 फुटा रोड खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 55 वर्ष को मय 151 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

पकड़े गये अभियुक्तगण के द्वारा पूछताछ पर बताया कि साहब मैं सस्ते दाम में नशीला पाउडर खरीदकर गाजियाबाद में उचित दामों में रास्ते में चलते फिरते लोगों को बेचकर आर्थिक लाभ कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शकील पुत्र स्व0 मौ0 इशाक निवासी कादरी मस्जिद के सामने 25 फुटा रोड खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0- 488//21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

1. 151 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम नाजायज।



थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से एक इन्वर्टर व एक अदद बैटरा व 110 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम पाउडर नाजायज बरामद

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री अमित पाठक के निर्देशन श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री डा0 ईरज रजा के पर्यवेक्षण में श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय श्री अतुल कुमार सोनकर महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना ट्रोनिका सिटी श्री संदीप कुमार सिंह की टीम दिनांक 23/07/2021 समय 11.00 बजे बदरपुर गाँव से पहले पीपल के पेड के पास से दौराने चैकिंग अभियुक्त 1. जुबैर पुत्र शराफत अली निवासी बदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष, 2-इस्तकार उर्फ सुक्का पुत्र सौकत अली निवासी बदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष को मय एक अदद इन्वर्टर व एक अदद बैटरा सम्बन्धित मु0अ0सं0 -489/21 धारा -380 भादवि थाना थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद व 110 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम नाजायज के गिरफ्तार किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

पकड़े गये अभियुक्तों ने द्वारा पूछने पर बताया कि साहब हम लोग बन्द फैक्ट्रियाँ व ताला बन्द मकान में मौका देखकर छत के रास्ते से घुस जाते हैं सामान चोरी करके उन्हें बेचकर अपने शौक पुरे करते हैं व रास्ते में आने जाने वाले लोगों को नशीला पाउडर बेचकर आर्थिक लाभ कमाते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जुबैर पुत्र शराफत अली निवासी बदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
2. इस्तकार उर्फ सुक्का पुत्र सौकत अली निवासी बदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-489/2021 धारा 380 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद बनाम जुबैर व इस्तकार उर्फ सुक्का उपरोक्त।

2. मु0अ0सं0- 492//2021 धारा -8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद बनाम इस्तकार उर्फ सुक्का उपरोक्त

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद इन्वर्टर व एक अदद बैटरी ।
2. 110 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम नाजायज ।



थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा माननीय मुख्यमन्त्री उत्तर प्रदेश महोदय को अपशब्द प्रयोग करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री अमित कुमार की टीम द्वारा दिनांक: 22-07-2021 को फेसबुक व ट्यूटर पर ईद उल जुहा पर माननीय मुख्यमन्त्री उत्तर प्रदेश महोदय को अपशब्द प्रयोग कर मानहानी सम्बन्धि वक्तव्य देने की वीडियो वायरल पर थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद पर एनसीआर न0- 83/2021 धारा 500/504 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत की गयी थाना पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्ति की पहचान इमरान पुत्र मौ0 अली करते हुए गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि ईद उल जुहा अवसर पर नवाज के बाद लोगों के कहने पर मैंने यह माननीय मुख्यमन्त्री उत्तर प्रदेश को अपशब्द बोल दिये थे

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1- इमरान पुत्र मौ0 अली निवासी गली न0- 07 मोती मस्जिद रोड कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त प्रदीप कुमार उपरोक्त

1. एनसीआर न0- 83/2021 धारा 500/504 भादवि थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।



साइबर सेल व थाना-लोनी पुलिस जनपद-गाजियाबाद द्वारा पैनकार्ड/डेबिट कार्ड के डाटा से यूपीआई पिन बनाकर ठगी करने वाले गिरोह के 05 सदस्य गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन 420 के तहत, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, श्रीमान क्षेत्राधिकारी साइबर सेल, श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी के कुशल निर्देशन में साइबर सेल एवं लोनी पुलिस जनपद-गाजियाबाद द्वारा दिनांक 22/07/2021 को पैन कार्ड/डेबिट कार्ड के डाटा से यूपीआई पिन बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का फर्दाफाश करते हुये 02 शातिर अभियुक्तगणों को समय -18.30 बजे बंधला फ्लाई ओवर के नीचे चिरौड़ी की ओर जाने वाले रास्ते से तथा उनकी निशांदाही पर साहिबाबाद थाना क्षेत्र में ऑफिस ए-118, साहनी टॉवर, नियर एम4यू सिनेमा राजेन्द्रनगर साहिबाबाद गाजियाबाद से 03 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया। थाना-लोनी पर मु0अ0सं0- 1003/2021 धारा 420/411/34 भा0द0वि0 पंजीकृत है, अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीका- अभियुक्तगणो द्वारा अपने फरार साथी के साथ मिलकर पैन कार्ड कम्पनी से डाटा चुराकर सम्बन्धित लोगों को कॉल कर के क्रेडिट कार्ड व लोन के नाम पर बैंक डाटा लेकर अपने फोन में यूपीआई तैयार करके बड़ी धनराशि ठग लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. राकेश पुत्र श्री राम चन्द्र पता: दुर्गा मन्दिर के पास रामविहार बंथला लोनी जनपद-गाजियाबाद,
2. अजय कुमार पुत्र श्री सुरेश राम पता: सरस्वती मन्दिर के पास राम विहार बंथला लोनी जनपद-गाजियाबाद,
3. सागर पुत्र श्री महादेव पता: सतपाल प्रधान के ऑफिस के पास रामविहार बंथला लोनी जनपद-गाजियाबाद,
4. गोपाल पुत्र श्री विनोद पता: सतपाल प्रधान के ऑफिस के पास रामविहार बंथला लोनी जनपद-गाजियाबाद,
5. बिक्की गुप्ता पुत्र श्री संतराम गुप्ता पता: गीतांजली विहार रूपनगर लोनी जनपद-गाजियाबाद,

बरामदगी का विवरण:-

1. 04-अदद मोबाइल फोन,
2. 20-अदद डाटा पेपर शीट,
3. 03-अदद एटीएम,
4. 02अदद पासबुक,
5. 02-अदद चैक,
6. 03-अदद मौहर,
7. 17-अदद अनएक्टिव सिम मय रैपर के,
8. 01-अदद स्कूटी,
9. 01-अदद मोटर साइकिल,
10. 15000/- रूपये नगद,

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 सुमित कुमार प्रभारी साइबर सैल गाजियाबाद,
2. उप निरीक्षक शिव भूषण दीक्षित थाना-लोनी,
3. उ0नि0 राजीव यादव थाना-लोनी,
4. है0का0 961 ऋषिपाल सिंह,
5. है0का0 174 हरेन्द्र कुमार साइबर सैल
6. का0 3101 दीपक कुमार साइबर सैल,
7. का0 3103 सतेन्द्र साइबर सैल,
8. का0 173 दीपक साइबर सैल,
9. का0 1302 विक्रान्त साइबर सैल,
10. का0 1289 मनवीर साइबर सैल
11. पीसी 41 नं0-यूपी-17-जी-0134



दिनांक 23.07.2021 थाना भोजपुर, गाजियाबाद

हत्या के अभियोग मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार



श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय गाजियाबाद व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के कुशल निर्देशन में दिनांक 23.07.2021 को मु0अ0सं0 412/21 धारा 147/149/302/307/323/504/34 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त वाजिद पुत्र आबिद उम्र- 34 वर्ष नि0 ग्राम त्यौडी 13 बिस्वा थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद को मुखबिर की सूचना पर तलहेटा की मढैया मन्दिर से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

वाजिद पुत्र आबिद उम्र- 34 वर्ष नि0 ग्राम त्यौडी 13 बिस्वा थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 412/21 धारा 147/149/302/307/323/504/34 भादवि

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 अरविन्द कुमार शर्मा थाना भोजपुर गाजियाबाद
2. उ0नि0 अरुण कुमार थाना भोजपुर गाजियाबाद
3. उ0नि0 अशोक कुमार थाना भोजपुर गाजियाबाद
4. का0 3868 विकास कुमार थाना भोजपुर गाजियाबाद

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 01

अदद नाजायज चाकू बरामद

दिनांक 23-07-2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री अमित पाठक के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री निपुण अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री महिपाल सिंह महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री अमित कुमार की टीम द्वारा दिनांक: 23.07.2021 समय 03.40 बजे को रेलवे गोदाम नीम के पेड़ के पास चौकी क्षेत्र बजरिया थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद से दौराने चैकिंग 01 नफर अभियुक्त सोनू पुत्र अनिल को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद पर मु0अ0सं0-699/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर बनाम सोनू पंजीकृत है।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

पकड़े गये अभियुक्त द्वारा चाकू रखने के सम्बन्ध में पूछताछ पर बताया कि साहब मैं चाकू आने जाने वाले लोगों को डराने धमकाने के लिए रखता हूँ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

अभियुक्त सोनू पुत्र अनिल निवासी खुरजावली थाना अरनिया जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 27 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अंकुर उर्फ छोटू उपरोक्त

2. मु0अ0सं0- 699/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0- 628/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जी0आर0पी0 गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद चाकू नाजायज।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री अमित कुमार थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
2. उ0नि0 श्री जोगेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
3. है0का0 306 सुनहरा सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।



थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा 01 अभि0 को सटटे की खाई बाडी करते हुए मय 600 रूपये पर्चा सटटा आदि के गिरफ्तार किया गया

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना टीला मोड पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को सटटे की खाई बाड़ी करते हुए गिरफ्तार किया।

दिनांक 22/7 /2021 को मुखबिर की सूचना पर नवजीवन इन्टर कालेज के पास असालतपुर फारूखनगर से अभि० रोहित पुत्र रतनपाल नि० फरूखनगर थाना टीला मोड गा०बाद को सटटे की खाई बाड़ी करते हुए गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के कब्जे से 600 रूपये व पर्चा सटटा, दफ्ती, पैन्सिल, आदि बरामद हुए। जिसके विरुद्ध कार्यवाही करते हुये मु०अ०सं० 400/21 धारा 13 जुआ अधि० पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

(1) रोहित पुत्र रतनपाल नि० फरूखनगर थाना टीला मोड गा०बाद

अभियुक्तो से बरामदगी –

600 रूपये नकद, पर्चा सटटा दफ्ती, पैन्सिल

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. मु०अ०सं० 400/21 धारा 13 जुआ अधि० थाना टीला मोड

अभि० के अन्य अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि०श्री प्रवीन सिंह, थाना टीला मोड गा०बाद
2. कां० 1740 राहुल शर्मा, थाना टीला मोड गा०बाद
3. कां० 1345 सर्वेन्द्र सिंह, थाना टीला मोड गा०बाद

